

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार करवा आ०ए०एस०

मुकदमा संख्या
36/18

वायर दिनांक
30.05.2018

निर्णय दिनांक
12.6.19

1. रामकरण पुत्र श्री हरशहाय जाति अहीर ग्राम मकड़ावा तहसील कोटकासिम जिला-अलवर राज०।

:- प्रार्थी

:: बनाम ::

1. चन्दर पुत्र श्री मुखराम
2. पूनम पत्नी बलवन्त
3. खेमराम पुत्र श्री हरनारायण जाति अहीरान निवासीयान ग्राम मकड़ावा तहसील कोटकासिम जिला-अलवर राज०।
4. राज० राज्य जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर कोटकासिम जिला-अलवर राज०।


:- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128
राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. श्री रणवीर यादव अभिभाषक प्रार्थी

प्रार्थी ने मय अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का पेश किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1063/432 रकबा 0-10 बीघा वाके ग्राम मकड़ावा तहसील कोटकासिम जिला-अलवर स्थित है। विवादित आराजी मिन प्रार्थी की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। जिसपर मिन प्रार्थी काबिज व दाखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी के तरफ उत्तर दिशा में सरकारी सड़क, दक्षिण दिशा में अप्रार्थीया संख्या-2 पूनम की आराजी व तरफ पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या-3 खेमराम की आराजी व तरफ पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या-1 चन्दर की लगती हुई आराजी है। अप्रार्थीगण आये रोज मिन प्रार्थी की विवादित आराजी की डोल को मिसमार करते रहते हैं और आये रोज विवाद होता है। इसलिए मिन प्रार्थी ने अपनी विवादित आराजी की पैमाईश कराने के लिए विधिवत रूप से श्रीमान तहसीलदार कोटकासिम को प्रार्थना पत्र पेश किया। विवादित आराजी की पैमाईश हल्का पटवारी ने दिनांक 18.05.2018 को मौका पर्चा तैयार कर, उपस्थित लोगो के हस्ताक्षर कराये गये। मिन प्रार्थी, अप्रार्थीगणों से अपनी विवादित आराजी की पैमाईश उक्त मौका पर्चा के अनुसार करवाने के लिए कई बार मौखिक रूप से कह चुका हूं, परन्तु वे आश्वस्त करते रहते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप उक्त मौका पर्चा के अनुसार अपनी उक्त विवादित आराजी की पत्थरगढ़ी करवा लेना परन्तु दिनांक 22.05.2018 को प्रार्थीगण, उक्त मौका पर्चा के अनुसार विवादित आराजी की पत्थरगढ़ी होने से इंकार कर दिया और कहा


उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

[2]

की इस अनुसार पत्थरगढ़ी नहीं होने देंगे। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मुताबिक पैमाईश दिनांक 18.05.2018 के पत्थरगढ़ी कराई जावे।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या-1 लगायत 3 की तामील हो चुकी है, बावजूद सूचना उपस्थित नहीं।

बहस विद्वांन अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। विद्वांन अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा की आराजी हाल खसरा नम्बर 1063/432 रकबा 0-10 बीघा वाके ग्राम मकड़ावा तहसील कोटकासिम जिला-अलवर स्थित है। विवादित आराजी मिन प्रार्थी की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। जिसपर मिन प्रार्थी काबिज व दाखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी के तरफ उत्तर दिशा में सरकारी सड़क, दक्षिण दिशा में अप्रार्थीया संख्या-2 पूनम की आराजी व तरफ पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या-3 खेमराम की आराजी व तरफ पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या-1 चन्दर की लगती हुई आराजी है। अप्रार्थीगण आये रोज मिन प्रार्थी की विवादित आराजी की डोल को मिसमार करते रहते हैं और आये रोज विवाद होता है। इसलिए मिन प्रार्थी ने अपनी विवादित आराजी की पैमाईश कराने के लिए विधिवत रूप से श्रीमान तहसीलदार कोटकासिम को प्रार्थना पत्र पेश किया। विवादित आराजी की पैमाईश हल्का पटवारी ने दिनांक 18.05.2018 को मौका पर्चा तैयार कर, उपस्थित लोगो के हस्ताक्षर कराये गये। मिन प्रार्थी, अप्रार्थीगणो से अपनी विवादित आराजी की पैमाईश उक्त मौका पर्चा के अनुसार करवाने के लिए कई बार मौखिक रूप से कह चुका हूँ, परन्तु वे आश्वस्त करते रहते हैं कि हमे कोई आपत्ति नहीं है। आप उक्त मौका पर्चा के अनुसार अपनी उक्त विवादित आराजी की पत्थरगढ़ी करवा लेना परन्तु दिनांक 22.05.2018 को प्रार्थीगण, उक्त मौका पर्चा के अनुसार विवादित आराजी की पत्थरगढ़ी होने से इंकार कर दिया और कहा की इस अनुसार पत्थरगढ़ी नहीं होने देंगे। अतः निवेदन है कि मुताबिक पैमाईश पत्थरगढ़ी कराई जावे।

विद्वांन अभिभाषक की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। मौका पर्चा दिनांक 18.05.2018 के अवलोकन से जाहिर है कि मौका पर्चा पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या-1 व अन्य के हस्ताक्षर है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1063/432 रकबा 0-10 बीघा वाके ग्राम मकड़ावा तहसील कोटकासिम की मुताबिक पैमाईश दिनांक 18.05.2018 के पत्थरगढ़ी कराई जावे। तहसीलदार कोटकासिम को अहकाम जारी हो।

निर्णय दिनांक आज दिनांक 12.6.19 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)